


आदेश

बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली, 1949 में निहित प्रावधानों के आलोक में पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के यात्रा-विपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर तथा दो बच्चों का शिक्षण शुल्क भत्ता एवं छात्रावास भत्ता की स्वीकृति के लिए अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक-395/वित्त-2 दिनांक-12.03.2020 द्वारा निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।



28/11/21
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना

बिहार पुलिस मुख्यालय
(मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

ज्ञापांक-वित्त-2/VIII-02-05-2020/107..... दिनांक-29.1.2021

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण/सैन्य पुलिस, बिहार, पटना/ सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक(रेल सहित)/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार एवं आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।


28/11/21
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना